बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)

कार्यालय आदेश

संख्या– 11 / चक०–लि0–01–03 / 2023................./ चक० पटना, दिनांक ....

आज दिनांक 29.09.2023 (शुक्रवार) को निदेशक, चकबंदी, बिहार, पटना द्वारा चकबंदी के भोजपुर जिला के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में यह संज्ञान में आया है कि चकबंदी के क्षेत्रीय कार्यालयों के विभिन्न संवर्गो के अधिकांश कर्मी अपने पदस्थापित कार्यालय से इतर अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्य कर रहे हैं।

निदेशानुसार चकबंदी के क्षेत्रीय कार्यालयों में पदस्थापित विभिन्न संवर्गो के वैसे कर्मियों, जिनकी प्रतिनियुक्ति किसी भी स्तर से अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में की गई है, का प्रतिनियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है।

ऐसे प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों को निदेश दिया जाता है कि कल दिनांक 30.09.2023 (शनिवार) को अपने पैतृक / मूल पदस्थापित कार्यालय में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश का अनुपालन तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

अपरिहार्य स्थिति, यथा –कार्य बंद होने की स्थिति में ही अनुरोध प्राप्त होने पर अलग से विचार किया जायेगा।

ह0 / –
(सिम्मी प्रसाद)
अनुदेशक,
चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 11 / चक०–लि0–01–03 / 2023...998.../ चक० पटना, दिनांक 29/09/2023

Email/Speed post

प्रतिलिपिः– सभी जिलाधिकारी, बिहार / सभी अपर समाहर्त्ता, बिहार / सभी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, बिहार / अवर सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, पटना / अवर सचिव, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, पटना / सभी संयुक्त निदेशक, चकबंदी / सभी उप निदेशक, चकबंदी / उप निदेशक, बिहार सर्वेक्षण कार्यालय, गुलजारबाग / सहायक निदेशक, चकबंदी, भागलपुर / सभी अंचलाधिकारी, बिहार / सभी चकबंदी पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Simmi Prasad
29/09/23
(सिम्मी प्रसाद)
अनुदेशक,
चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना।